झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) ग्रा०–14/10 2423 राँची, दिनांक – 03.05.16

आदेश

श्री राजेन्द्र कुमार जैन तत्कालीन सहायक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल राँची –सह– खूँटी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध खूँटी जिलान्तर्गत संयुक्त सहकारिता भवन निर्माण कार्य में बरती गई वित्तीय अनियमतिता के लिए खूँटी थाना काण्ड संख्या 115/10 दिनांक 03.10.10 में धारा 161/406/409/420/467/468/471/34 भा०द०वि० एवं 7/13(1)(डी) प्रीभेंशन ऑफ करप्सन एक्ट 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त थाना काण्ड के सापेक्ष विधि (न्याय) विभाग के आदेश संख्या– 75 दिनांक 11.06.2011 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

2 खुँटी थाना काण्ड सं०– 115/10(विशेष वाद सं०–62/2010) में माननीय विशेष निगरानी न्यायालय राँची द्वारा दिनांक 24.06.15 को पारित न्याय निर्णय में सरकारी राशि रू०–23,09,400/–(तेइस लाख नौ हजार चार सौ) के गबन का आरोप प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में श्री राजेन्द्र कुमार जैन को IPC की धारा 409/34 के तहत पाँच (5) वर्ष कैद की सजा एवं रू०–20,000/– (बीस हजार) जुर्माना तथा prevention of corruption Act 1988 की धारा 13(2), R/W, 13 (1)(d) के तहत दो (2) वर्ष कैद की सजा एवं रू० 10,000/–(दस हजार) जुर्माना की सजा सुनायी गयी।

3 माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में मामले की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने एवं पाँच वर्ष कैद की सजा सुनाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकार नियुक्ति विभाग पटना के परिपत्र सं०–10158 दिनांक 23.08.1963 की कंडिका– 9 के प्रावधान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(C) No - 684/1955 से उद्भूत Civil Appeal No -2992/1995 [डिपुटी डाइरेक्टर ऑफ कॉलेजिएट एडुकेशन (एडमिनिस्ट्रेशन) मद्रास बनाम एस० नागूर मीरा] में दिनांक 24.02.1995 को पारित नियमन (ए०आई०आर० 1995 सुप्रीम कोर्ट 1364) एवं बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 1958 के नियम 170 (a) एवं (b) के प्रावधानों के तहत श्री राजेन्द्र कुमार जैन, सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित को सेवा से बर्खास्त किये जाने के सम्बन्ध में झारखण्ड लोक सेवा आयोग से सहमति की मांग की गई।

4 श्री राजेन्द्र कुमार जैन तत्कालीन सहायक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल राँची सह खूँटी को सेवा से बर्खास्त किये जाने के सम्बन्ध में सचिव झारखण्ड लोक सेवा आयोग राँची के पत्रांक 711 दिनांक 08.03.16 द्वारा सहमति प्रदान की गई।

5 माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने एवं कैद की सजा सुनाये जाने तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग राँची से प्राप्त सहमति के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरांत श्री राजेन्द्र कुमार जैन, सहायक अभियंता (निलंबित) को निम्न दण्ड दिया जाता है–

(i) सेवा से बर्खास्तगी।

(ii) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

6. अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 2423 राँची,दिनांक – 03-05-16

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक – 2423 राँची,दिनांक – 03-05-16

प्रतिलिपि – उपायुक्त खूँटी/पुलिस अधीक्षक खूँटी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची/ मुख्य अभियंता लघु सिचाई राँची/ मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग देवघर/ संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड राँची/उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री राजेन्द्र कुमार जैन, सहायक अभियंता (निलंबित), मुख्य अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग, देवघर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.5.16
(बिन्दु माधव प्रसाद सिह)
सरकार के संयुक्त सचिव